

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 1979/आषाढ़ 13, 1901
No. 272] NEW DELHI WEDNESDAY, JULY 4, 1979/ASADHA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

नायहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1979

का. आ. 382(अ).—दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (मेम्बर्स) रूल्स, 1973 के नियम 3 के साथ पीठल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 (1950 का 64) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना द्वारा श्री मदन मोहन अग्रवाल को जो दिल्ली नगर निगम के सदस्य हैं, और 1-एफ/109 लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 के निवासी हैं, दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती हैं और भारत सरकार के नायहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन

पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 238(ई), दिनांक 1 मई, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में मव सं. (8) के बाद निम्नलिखित मव की प्रविष्टि की जाएगी :

- (9) श्री मदन मोहन अब्रोल,
सदस्य,
दिल्ली नगर निगम,
टाउन हॉल, दिल्ली ।

[टीजीसी(9)/79]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 1979

S.O. 382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) read with rules 3 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri Madan Mohan Abrol, Member, Municipal Corporation of Delhi, and resident of 1-F/109, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, as member of the Delhi Transport Corporation and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 283(E), dated the 1st May, 1979, namely :—

In the said notification in Para 1 after the item (viii), the following item shall be inserted :

- (ix) Shri Madan Mohan Abrol,
Member,
Municipal Corporation of Delhi,
Town Hall, Delhi.

[TGD(9)/79]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.